मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- डी–17–14 / 97 / 14–3 भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2006

प्रति,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
जिला–
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला
3. उपसंचालक कृषि
सदस्य सचिव,
जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
जिला–

विषय : विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप, सिंचाई पम्पों, कृषि उपकरणों तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बावत ।

संदर्भ : 1. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक–बी–1–5 / 93 / 14–2, दिनांक 26 / 4 / 1999
2. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक–बी–8 / 15 / 2001 / 14–2, दि.10 / 10 / 2001
3. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक डी–17–14 / 95 / 14–3 दि. 06 मार्च, 2002

विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्र / सामग्री वितरण हेतु विभागीय ज्ञाप (1) क्रमांक–बी–1–5 / 93 / 14–2, दिनांक 26 अप्रैल, 1999 तथा विभागीय ज्ञाप (2) क्रमांक–बी–8 / 15 / 2001 / 14–2, दिनांक 10 / 10 / 2001 हितग्राही चयन, अनुमोदन एवं कियान्वयन लक्ष्यों का निर्धारण एवं तकनीकी सावधानियों के संबंध में जारी निर्देश यथावत रहेंगे ।

2. उपरोक्त ज्ञाप क्रमांक–1 की कंडिका क्रमांक–8.3.2, 8.4.2, एवं ज्ञाप क्रमांक–2 की कंडिका क्रमांक–8.5.1, 8.5.2, 8.6.3, 8.7.2 में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों को एतद् द्वारा निरस्त कर निम्नानुसार प्रकिया अंतर्स्थापित की जाती है :–

योजना के अंतर्गत हितग्राही का चयन एवं अनुदान भुगतान व्यवस्था –

1 कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजना के तहत जिलावार लक्ष्य संचालनालय स्तर से जिलों को भेजा जायेगा । जिला स्तर पर यह लक्ष्य विकासखण्डवार जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार विभाजित किया जायेगा ।

2 जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी उपसंचालक कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व विभागीय अमले को दी जायेगी ।

3 कृषि विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा विकास खंड स्तर पर विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों की सूची लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना की संख्या में तैयार की जायेगी । इस सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा । अनुमोदित सूची उपसंचालक कृषि को भेजी जायेगी ।

4 जिला स्तर पर पूर्व से गठित माइको इरीगेशन समिति में विकासखंड से प्राप्त सूची का अंतिम अनुमोदन होगा एवं हितग्राहियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी । यह सूची जनपद पंचायत को दी जायेगी ।

5 चयनित हितग्राही जिलों मे पूर्व से सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कम्पनी डीलर से अपनी इच्छानुसार स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई पम्प, कृषि उपकरणों तथा अन्य कृषि यंत्रों का स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर कय कर सकेंगे ।

6 हितग्राही द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत इनका स्वयं कय किया जायेगा । कय कर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर पर कय किया जायेगा । इनकी दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी ।

7 हितग्राही द्वारा भुगतान किये गये पक्के बिल की मूल प्रति तथा कय प्रमाण पत्र विकास खंड स्तर पर कृषि विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा । कृषि विभाग का विकास खंड स्तरीय अमला सिस्टम की स्थापना व चालू होने का भौतिक सत्यापन करेगा एवं अनुदान राशि हितग्राही को देने की अनुशंसा उपसंचालक कृषि को करेगा । बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जायेगी ।

8 जिला स्तर पर उपसंचालक द्वारा विकासखंड स्तर से प्राप्त अनुदान अनुशंसा सूची अनुसार अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर हितग्राही के नाम चेक द्वारा अनुदान हितग्राही के पक्ष मे जारी किया जायेगा । यदि किसी विशेष कारण से यह अनुदान 30 कार्यदिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उपसंचालक हितग्राही को भुगतान करते समय विलम्ब के कारणों को लिखित रूप से उसे सूचित करेगा ।

9. हितग्राहियों द्वारा कय की गई सामग्रियों में से 10 प्रतिशत सामग्री का रेन्डम आधार पर सत्यापन उपसंचालक कृषि के द्वारा तथा 25 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

10. जिले के अंतर्गत कम्पनियों का पंजीयन एवं उनके अधिकृत डीलर की जानकारी तथा मानक का निर्धारण आदि जिला स्तर पर उपसंचालक कृषि के द्वारा किया जावेगा ।

3/ वर्तमान निर्देशों के अंतर्गत केवल अनुदान भुगतान करने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है । कृषि यंत्रों की गुणवत्ता का निर्धारण, मूल्यांकन एवं निरीक्षण आदि के संबंध में जारी पूर्ववर्ती व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

(प्रवेश शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

(०५)

पृ0 कमांक–डी–17–14 / 95 / 14–3 भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि :–

1. संचालक कृषि / कृषि अभियांत्रिकी,, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम / मार्कफेड, भोपाल

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक , गौतम नगर भोपाल 23

0000

कमांक / के.बी.–2 / 1 / 2005 / 2565 भोपाल , दिनांक 8/12/06

प्रतिलिपि :–

(1) कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री..(समस्त)
(2) सहायक कृषि यंत्री / मुख्य निर्देशक..................................(समस्त)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक , कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–डी–17–14/95/14–3 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2007

प्रति,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,
   जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
   जिला–
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत
   जिला
3. उपसंचालक कृषि
   सदस्य सचिव,
   जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी,
   जिला–

विषय : विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप, सिंचाई पम्पों, कृषि उपकरणों तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बाबत ।

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29–30/11/2006 की कंडिका क्रमांक–2 के बिन्दु क्रमांक (5) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(5) चयनित हितग्राही जिलों में पूर्व में सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कम्पनी डीलर से इच्छानुसार स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई पम्प, कृषि उपकरणों तथा अन्य कृषि यंत्रों का स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर क्रय कर सकेंगे । यदि कृषक चाहें तो मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम अथवा मार्कफेड से भी उक्त सामग्री क्रय कर सकेंगे ।

(डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

पृ0 क्रमांक–डी–17–14/95/14–3 भोपाल, दिनांक फरवरी, 2007

प्रतिलिपि :–

1. संचालक कृषि/कृषि अभियांत्रिकी,, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/मार्कफेड, भोपाल

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी,
आफिस काम्पलेक्स बी ब्लाक,गोतमनगर,भोपाल–23
0000

क्रमांक के.जी./ /2-07/ 985 भोपाल,दिनांक 16 मई,2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. आंचलिक प्रबंधक,कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना, all (समस्त)
2. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग all (समस्त)
3. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री all (समस्त)
4. सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक all (समस्त)

संचालक
कृषि अभियांत्रिकी,
म.प्र.भोपाल

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक--बी--3--30 / 2000 / 14--2 भोपाल, दिनांक 22 मई, 2007

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला..................................(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला..(समस्त)
3. उप संचालक कृषि,
जिला..(समस्त)

विषय:--विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं पावर टिलर पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बावत ।

संदर्भ:-- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक बी--3--30 / 2000 / 14--2, दि0 31 अगस्त, 2001

इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं पावर टिलर वितरण हेतु विभाग की ज्ञाप क्रमांक बी--3--30 / 2000 / 14--2 दिनांक 31 अगस्त,2001 से हितग्राही चयन , अनुमोदन एवं क्रियान्वयन लक्ष्यों का निर्धारण एवं तकनीकी सावधानियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश जारी किये गये है ।

(2) उपरोक्त ज्ञाप में आंशिक संशोधन करने हेतु क्रमांक 6,7,8 एवं 9 में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों को एतद द्वारा निरस्त कर निम्नानुसार प्रकिया अंर्तस्थापित की जाती है :-

<u>योजना के अन्तर्गत हितग्राही का चयन एवं अनुदान भुगतान व्यवस्था --</u>

1. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की मैको मैनेजमेंट योजनान्तर्गत जिलावार लक्ष्य संचालनालय स्तर से जिलों को भेजा जावेगा । जिला स्तर पर यह लक्ष्य विकासखण्डवार जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार विभाजित किया जावेगा ।
2. जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी उप संचालक कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व विभागीय अमले को दी जावेगी ।
3. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों की सूची लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना संख्या में तैयार की जायेगी । इस सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा । अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को भेजी जायेगी ।
4. जिला स्तर पर विकासखण्ड से प्राप्त सूची का अंतिम अनुमोदन होगा एवं हितग्राहियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी । यह सूची जनपद पंचायत को दी जायेगी ।
5. चयनित हितग्राही जिलो में पूर्व से सूचीबद्व किये गये अधिकृत कंपनी / डीलर से अपनी इच्छानुसार ट्रैक्टर एवं पावर टिलर कय कर सकेंगे । यदि कृषक चाहे तो मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से भी ट्रैक्टर एवं पावर टिलर कय कर सकेंगे ।

C:\Documents and Settings\WIPRO\Desktop\Tr209.doc

(5)

303/
26/5/07

6. हितग्राही द्वारा भुगतान किये गये पक्के बिल की मूल प्रति तथा क्रय प्रमाण पत्र विकासखण्ड स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का विकासखण्ड स्तरीय अमला ऐसे ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का भौतिक रूप से निरीक्षण करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनें नयी हैं तथा कार्यशील हैं, सत्यापन करेगा एवं अनुदान राशि हितग्राही को देने की अनुशंसा उप संचालक कृषि को करेगा. बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जायेगी ।

7. जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा विकासखण्ड स्तर से प्राप्त अनुदान अनुशंसा सूची अनुसार अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर हितग्राही के नाम चेक द्वारा अनुदान हितग्राही के पक्ष में अनिवार्यतः जारी किया जावेगा । यदि किसी विशेष कारण से यह अनुदान 30 कार्य दिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उप संचालक कृषि हितग्राही को भुगतान करते समय विलम्ब के कारणों की लिखित रूप से उसे सूचित करेगा । अनुदान की पात्रता प्रथम आये प्रथम पाये सिद्धान्त पर बैंक ऋण/निजी स्त्रोत से ट्रेक्टर/पावर टिलर क्रय करने वाले हितग्राहियों को होगी ।

8. हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर्स एवं पावर टिलर्स की कुल संख्या का 25 प्रतिशत सत्यापन उप संचालक कृषि के द्वारा तथा 50 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जावेगा ।

9. हितग्राही द्वारा मैक्रो मैनेजमेंट योजनान्तर्गत इनका स्वयं क्रय किया जायेगा । क्रयकर्ताओं द्वारा बाजार में प्रचलित दर पर क्रय किया जायेगा । इनकी दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी । ट्रैक्टर एवं पावर टिलर पर भारत शासन द्वारा जारी अनुमोदित सूची अनुसार ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(प्रवेश शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 22 मई,2007

क्रमांक/बी–3–30/2000/14–2
प्रतिलिपिः–
1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

C:\Documents and Settings\WIPRO\Desktop\Kc202.doc

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी– 17–9/2010 /14–3 भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्रति,

1– कलेक्टर,
जिला ––––

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला –––

3– संयुक्त संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
संभाग ––––

4– उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला ––––

विषय :– विभाग के अधीन क्रियान्वित योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को देय अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करने बाबत।

संदर्भ :– इस विभाग के निम्न ज्ञाप क्रमांक :–

1. डी–17–14/2006/14–3, दिनांक 29–11–2006
2. डी–3–30/2000/14–2, दिनांक 22–5–2007
3. डी–7–13/06/14–3, दिनांक 25–5–2007
4. डी–17–6/9/14–3, दिनांक 16–10–2009
5. डी–7/19/2008, दिनांक 13–1–2010, 18–1–2010 आदि।

– – –

राज्य शासन एतव द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन क्रियान्वित योजनाओ में किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि की निर्देशित पूर्व प्रक्रिया को आंशिक अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग की सभी हितग्राहीमूलक एवं समूह मूलक योजनाओं में कृषकों को देय अनुदान राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा करते हुए किया जाए।

2. भुगतान हेतु जारी किये जाने वाले धनादेश में संबंधित के नाम के साथ साथ बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक भी दर्शाया जाएगा एवं धनादेश एकाउंट पेयी होगा।

3. किसानों को अनुदान की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा किये जाने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा विभाग स्तर पर प्रतिमाह की जाए।

कृषकों के द्वारा स्वेच्छा से यदि कृषि आदान सामग्री/ यंत्र/ उपकरण संस्थाओं से अनुदान की राशि कम करके प्राप्त किये जाते हैं तो अनुदान राशि संबंधित संस्था को भुगतान की जाय ।

5. कृषक द्वारा बैंक ऋण पर आदान सामग्री प्राप्त की गई है तो ऋण खाते में अनुदान राशि जमा करने को प्राथमिकता दी जाए।

योजना कियान्वयन के शेष निर्देश यथावत रहेंगे तथा उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.कमांक डी– 17– 9/10 /14–3
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्रतिलिपि :–

1. अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल। कृपया इन निर्देशों को लागू करने के लिये विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन में अपनाई जा रही प्रकिया में आवश्यक संशोधन तत्काल किया जाये। संचालनालय स्तर से संबधित निर्देश 3 कार्य दिवस में जारी करें।
7. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र., भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय

कमांकःडी–17 / ।। / 10 / 14–3 भोपाल,दिनांक 30 जुलाई, 2010

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला..................................(समस्त)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   ....(समस्त)

3. संयुक्त संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
   संभाग..................................(समस्त)

4. उप संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
   जिला......................................(समस्त)

विषयः– मैको मेनेजमेंट – **कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन** कार्यकम अंतर्गत **अनुसूचित** जाति एवं **अनुसूचित जनजाति** के कृषकों को हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत टॉपअप अनुदान बाबत्।

केन्द्र प्रवर्तित **मैको मेनेजमेंट– कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन** योजनान्तर्गत हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है ।

राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के कृषकों हेतु निम्नानुसार टॉपअप अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

कमांक	कृषि यंत्र	केन्द्र शासन का अनुदान	राज्य शासन का टॉपअप अनुदान	कुल देय अनुदान
1.	हस्तचलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2,000 / –	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 4,000 / –	कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू.6,000 / –
2.	बैलचलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2,500 / –	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000 / –	कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू.7500 / –

2. शेष शर्तें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित योजना-दिशा–निर्देशों के अनुसार यथावत् रहेंगी ।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Vbhadoria 30/7/10
(डा. एच.बी.एस.भदौरिया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क्रमांकःडी–17 / 11 / 10 / 14–3 भोपाल,दिनांक 30 जुलाई, 2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री,मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री,मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
9. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल।
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।

Vbhadoria 30/7/10
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/के.जी-1/वर्कप्लॉन/2010/1626 भोपाल, दिनांक 2-8-2010

प्रतिलिपि:- 1) कृषि यंत्री – – – – – – (समस्त)
2) सहायक कृषि यंत्री – – – – – (समस्त)
3) मुख्यनिर्देशक कृषि कर्मशाला भोपाल।

for संचालक
कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांकडी–17/11/10/14–3 भोपाल, दिनांक 9-6-2011

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला..............................(समस्त)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,..............................(समस्त)

3. संयुक्त संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
संभाग ....(समस्त)

4. उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला..............................(समस्त)

विषयः–**मैको मेनेजमेंट– कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन** कार्यक्रम अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के कृषकों को भी हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत टॉपअप अनुदान देने बाबत्।

---0---

केन्द्र प्रवर्तित **मैको मेनेजमेंट– कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन** योजनान्तर्गत हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है।

राज्य शासन द्वारा परिपत्र कमांक/डी–17/11/10/14–3 दिनांक 30.07.2010 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को हस्तचलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रों पर टॉप अप अनुदान के आदेश प्रसारित किये थे। योजनांतर्गत अब सामान्य वर्ग के कृषकों को भी हस्तचलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रो के कय पर 50 प्रतिशत टॉप अप अनुदान निम्नानुसार दिये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

कमांक	कृषि यंत्र	केन्द्र शासन का अनुदान	राज्य शासन का टॉपअप अनुदान	कुल देय अनुदान
1.	कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2,000/–	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 4,000/–	कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू.6,000/–
2.	बैलचलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2,500/–	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000/–	कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू.7500/–

2. शेष शर्ते भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगी ।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डॉ. एच.बी.एस.भदौरिया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांकडी–17/11/10/14–3 भोपाल, दिनांक 9-6-2011

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री ,मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री ,मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन,भोपाल
4. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
5. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. भोपाल
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र., भोपाल
8. प्रबन्ध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल
9. प्रबन्ध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल
10. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
11. आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल
12. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री, संभाग ....(समस्त)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग